संख्या-67/2019/1950 ई-2/तेरह-2019-55/2017

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

विषय:-पाइरेटस आफ ग्रिल (ए यूनिट आफ होली स्मोक प्रा0लि0), रोहतास समिट, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पृष्ठांकित अपने पत्र सं0-1486/ जि0आ0अ0/बार अनुज्ञापन/2019-20/लखनऊ, दिनांक 24-07-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24-07-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की रिपोर्ट दिनांक 05-07-2019 में की गई संस्तुति तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी-115/दस-लाइसेंस-01/एफ.एल.6,7/पाइरेटस आफ ग्रिल/बार अनुज्ञापन/लखनऊ, दिनांक 16-09-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति के दृष्टिगत पाइरेटस आफ ग्रिल (ए यूनिट आफ होली स्मोक प्रा0लि0), रोहतास समिट, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में आने वाले आगन्तुकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा तथा आगन्तुकों की सुरक्षा के दृष्टिगत रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा प्रवेश/निकास की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इकाई के अग्निशमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में होंगे व अग्निशमन विभाग की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है, इकाई द्वारा उनका पूर्णरूप में अनुपालन किया जायेगा। इकाई द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी.(डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) की व्यवस्था की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-67/2019/1950(1)ई-2/तेरह-2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-115/दस-लाइसेंस-01/एफ.एल.6,7/पाइरेटस आफ ग्रिल/बार अनुज्ञापन/लखनऊ, दिनांक 16-09-2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।